कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल कटनी (म.प्र.)

TELEPHONE (O) 07622- 227417 (FAX) 07622-220700 PIN 483501, E-mail- dfotkatn@mp.gov.in

कटनी दिनांक 6/7/2021

क्रमांक/मा.चि./ 3735

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,
सागर

विषय : कटनी जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-43 एक्सटेंशन के खण्ड चांदघाट से कटनी (गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी) मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 0.98 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/ एफ-5/ 869/ 2019/ 10-11/ 2064 दिनांक 29.06.2021 (आपको भी पृष्ठांकित) एवं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/F.No. 6-MPB 021/2019-BHO दिनांक 21.06.2021 एवं आपका पत्र कमांक/284/तक0/2021-22 दिनांक 30.06.2021।

उपरोक्त आपके विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रथम चरण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है। सैद्वांतिक स्वीकृति में अधिरोपित **शर्त कमांक 01, 02, 03** से क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं एन.पी.व्ही की राशि कैम्पा फण्ड में समायोजन करने तथा अन्य शर्तो में वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय से चाहा गया है।

अतः आप भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल से जारी सैद्वांतिक शर्तो के पालन में कटनी जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-43 एक्सटेंशन के खण्ड चांदघाट से कटनी (गुलगंज-अगानगंज-पवई-कटनी) मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 0.98 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कटनी वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र कटनी के कक्ष कमांक आर.एफ. 89, रकबा 2.00 हे0 वनक्षेत्र में 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना राशि रूपये **14,96,950.00 (चौदह लाख छियान्वें हजार नौ सौ पचास रूपये)**, जिसकी तकनीकी स्वीकृति आदेश क्र. /व्यय/37 दिनांक 06.06.2021 (तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है) एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक **F.No.5-2/2017-FC दिनांक 28.03.2019** से जारी गाइडलाइन अनुसार **एन.पी.व्ही. Eco-Value class IV** हेतु निर्धारित **Open Forest हेतु 4,38,000 प्रति हेक्टेयर की दर** से परियोजना में प्रभावित 0.98 हे0 वनभूमि के **एन.पी.व्ही की राशि रूपये 4,29,240/-(चार लाख उन्तीस हजार दो सौ चालीस रूपये)** का भुगतान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के **ई-पोर्टल पर पृथक-पृथक** जमा कर जमा रसीद की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, एवं प्रथम चरण सैद्वांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में तैयार कर अविलंब इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शर्त वार पालन प्रतिवेदन ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर एवं हार्डकापी शासन की ओर प्रेषित की जा सकें।

संलग्न :- तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति।

06/07/21

(आर.सी.विश्वकर्मा)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी
कटनी दिनांक / /2021

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष-भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र एवं आवेदक संस्था के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, पूर्व कटनी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कटनी की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी व्यय आंकिक की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) — 482 001

आदेश

जबलपुर दिनांक 06/06/2021

क्रमांक/व्यय/ 27

कटनी जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सटेन्सन के खण्ड चौंदघाट से कटनी (गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी) मार्ग के चौडीकरण हेतु 0.98 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग में देने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबध) भोपाल के पत्र क्र0एफ–5/869/2019/10–11/1394 दिनांक 22.04.2021 से प्राप्त निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कटनी द्वारा उनके पत्र क्र0/मा0चि0/2291 दिनांक 6.01.2021 से प्रेषित 02 हे0 हे0 क्षेत्र में 2000 पौधों के रोपण हेतु 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के प्राकलन का परीक्षण उपरांत म0प्र0 बुक आफ फायनेंसियल पावर भाग–2 एंव म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्र0/621/03/नियम/4 दि0 3.09.2003 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं :–

योजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	अवधि	रकवा (हे0 में)	043 एक्सअनुमानित राशि (रूपये में)
कटनी जिले मे प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सटेन्सन के खण्ड चौंदघाट से कटनी (गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी) मार्ग के चौडीकरण।	कटनी	आर0एफ0 89	2021–22 से 2031–32	0.93	14,96,950.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैं :–

(1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराऐं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावें ।

(2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे । स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।

(4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यो के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगें ।

(5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगें । उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(आर0डी0महला, भा0व0से0)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

पृ0क्रमांक/मा0चि0/ 4571 जबलपुर, दिनांक 06/06/2021

प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सप्रेषित ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सप्रेषित ।
3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कटनी की ओर उनके पत्र क्र0 /मा0चि0/2291 दिनांक 27.05.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर
06/6/21

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल कटनी (म.प्र.)
3880
22/6/2021

1– 2– कलेक्टर म... 3– पुलिस अधीक्षक म...